निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1935 (श0)

(सं0 पटना 654) पटना, मंगलवार, 13 अगस्त 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2013

सं० एल0जी0-1-19/2013/लेजः154—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 10 अगस्त 2013 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

उज्जवल कुमार दूबे,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013

[बिहार अधिनियम 14, 2013]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना -चूँकि, राज्य के शैक्षणिक हित में राज्य में कुलपति एवं प्रति-कुलपति के पद पर नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित समस्त मानक प्रावधानों के अनुकूल; और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है,

और, चूँकि, कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति के मामले में पारदर्शिता और सामंजस्य का होना आवश्यक है,

और, चूँकि, पूर्व में कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति बिना राज्य सरकार के साथ प्रभावी परामर्श के किया गया है,

और, चूँकि, विभिन्न अधिसूचनाओं के द्वारा नियुक्त कुलपति और प्रतिकुलपति के कामकाज पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी है,

और, चूँकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 तथा यथा अद्यतन संशोधित विनियम 2013 में कुलपति का चयन सर्च कमिटी के माध्यम से किये जाने का उल्लेख किया गया है,

और, चूँकि, नियमित कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सन्नियम और न्यूनतम मानकों में उत्कृष्टता प्रदान करते हुए शीघ्रातिशीघ्र किया जाना उच्च शिक्षा के हित में समीचीन प्रतीत हो रहा है;

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. ***संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ*** ।- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. ***बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-10 का संशोधन।***-बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (बिहार अधिनियम-23, 1976) की धारा-10 की उप-धारा-(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा यथा :-

"(1) (i) सर्वोच्च दक्षता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता के सर्वोच्च व्यक्तियों को ही कुलपति के रूप में नियुक्ति किया जाएगा। कुलपति पद पर नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्ति विख्यात शिक्षाविद, होने चाहिए, जिनके पास किसी भी विश्वविद्यालयी प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा किसी भी प्रतिष्ठित शोध एवं/ अथवा अकादमिक प्रशासनिक संस्था में समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव हो ।

(ii) कुलपति का चयन 3-5 प्रख्यात सदस्यों की नामसूची द्वारा किया जाएगा, जिसे एक सर्च-समिति द्वारा एक सार्वजनिक सूचना या नामांकन या एक टेलेंट सर्च प्रक्रिया या इन दोनों विधियों की प्रक्रिया के जरिये चिन्हित किया जाएगा । उपर्युक्त सर्च समिति के सदस्य, उच्च शिक्षा क्षेत्र के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे तथा वे किसी भी रूप में संबद्ध विश्वविद्यालय से या उसके महाविद्यालयों से संबद्ध नहीं होंगे । सर्च समिति द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता को उचित महत्व देते हुए देश-विदेशों में उच्च शिक्षा संबंधी अध्यापन कार्य की योग्यता तथा अकादमिक या प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व दिया जाएगा तथा इसे लिखित रूप में पैनल सदस्यों की सूची के साथ कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(iii) सर्च कमिटी का गठन निम्नलिखित रूप में होगा :-

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य, जो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक प्रख्यात विद्वान या पद्म पुरस्कार से विभूषित शिक्षाविद होगा जो इसका अध्यक्ष होगा।

(ख) कुलाधिपति द्वारा सदस्य के रुप में नामित राष्ट्रीय ख्याति के संस्थान या राष्ट्रीय स्तर के संगठन यथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय

अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक या प्रमुख या वैधानिक विश्वविद्यालय के कुलपति।

(ग) राज्य सरकार के द्वारा एक विख्यात विद्यानुरागी को जिन्हें राज्य के उच्च शिक्षा की शैक्षणिक संरचना तथा उसकी समस्याओं की पूर्ण जानकारी हो, को सदस्य के रूप में नामित किया जायगा ।"

3. ***बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-12 का संशोधन***।- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा-12 की उप-धारा-(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा :-

"(1) कुलपति की नियुक्ति के लिए यथा विहित रीति से ही, राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा प्रतिकुलपति नियुक्त किया जायगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

13 अगस्त 2013

सं0 एल0जी0-1-19/2013/155/लेजः।- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2013 को अनुमत **बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

BIHAR STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2013

[Bihar Act 14, 2013]

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR STATE UNIVERSITIES ACT, 1976

(Bihar Act 23,1976)

Preamble - WHEREAS, in the educational interest of the State it is most expedient to make the entire provisions of the appointment on the posts of Vice-Chancellor and Pro Vice-Chancellor in the Universities of the State in consonance with the prescribed standards of University Grants Commission; and in conformity with the provisions laid down in the various regulations issued by the University Grants Commission.

AND, WHEREAS, transparency and harmony in the matter of appointment of the Vice Chancellors and Pro Vice-Chancellor is essential;

AND, WHEREAS, in the past appointment of Vice Chancellors and Pro-Vice Chancellors have been made without effective consultation with the State Government.

AND, WHEREAS, the functioning of Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor appointed vide various notifications have been stayed by the Hon'ble Supreme Court.

AND, WHEREAS, selection of Vice Chancellors and Pro Vice-Chancellors through search committee has been envisaged in the University Grants Commission Regulation 2010 and as amended Regulation 2013.

AND, WHEREAS, it expedient in the interest of Higher Education that Regular Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor can be appointed at the earliest in accordance with the norms and standard of University Grants Commission;

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty fourth year of the Republic of India as follows: -

1. **Short title, extent and commencement**-(1) This Act may be called Bihar State Universities (Amendment) Act, 2013.

(2) It Shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once,

2. **Amendment of section 10 of Bihar Act, 23 of 1976**.- In the Bihar State Universities Act 1976 (Bihar Act 23, 1976) sub section (1) of Section-10 shall be substituted by the following, namely :-

"(1) (i) Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as Vice-Chancellors. The Vice-Chancellor to be appointed should be a distinguished academician, with a minimum of ten years of experience as Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and / or academic administrative organization.

(ii) The selection of Vice-Chancellor should be through proper identification of a Panel of 3-5 names by a Search Committee through a public notification or nomination or a talent search process or in combination. The members of the above Search Committee shall be persons of eminence in the sphere of higher education and shall not be connected in any manner with the University concerned or its colleges. While preparing the panel, the search committee must give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and abroad, and adequate experience in academic and administrative governance to be given in writing along with the panel to be submitted to the Chancellor.

(iii) Following shall be the constitution of the Search Committee.

(a) A member nominated by the Chancellor, who shall be an eminent Scholar / Academician of national repute or a recipient of Padma Award in the field of education and shall be the Chairman.

(b) The Director or Head of an institute or organization of national repute, such as, Indian Institute of Technology, Indian Institute of Science, Indian Space Research Organization, National Law University or National Research Laboratory or Vice-Chancellor of a statutory University nominated by the Chancellor as Member.

(c) A member nominated by the State Government who shall be an eminent Academician and have full knowledge of the academic structure and problems of higher education of the State."

3. **Amendment of section 12 of Bihar Act, 23 of 1976**.- In the Bihar State Universities Act 1976 (Bihar Act 23, 1976) sub section (1) of Section 12 shall be substituted by the following namely :-

"(1) The Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government in the same manner as prescribed for appointment of Vice-Chancellor."

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 654-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in